(To be substituted bearing Same No. & Date)

प्रेषक

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

सेवा में

महानिदेशक,
अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा,
बेज न0 53–54,कल्याण भवन, सैक्टर–2, पचंकूला।

यादि क्रमांकः 322-SW(1)-2021
दिनांक चण्डीगढ 20 जुलाई, 2021

विषयः– डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना।

****

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र कमांक 75–स0क0(1)–2008, दिनांक 16.01.08, 1696–स0क0(1)–18.08.2009, 1198–स0क0(1)–2016, दिनांक 15.09.2016 तथा कमांक 174–स0क0(1)–2018, दिनांक 07.02.2018 सन्दर्भ में।

2. हरियाणा के राज्यपाल डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अन्तर्गत वर्तमान में दिये जा रहे अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति, घुमन्तू, अर्ध घुमन्तु जाति तथा पिछड़े वर्ग ब्लाक 'ए' एवं 'बी' के मेधावी छात्र/छात्राओ को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना में समाज के अन्य वर्गो के मेधावी छात्र/छात्राओ को पिछड़े वर्ग ब्लाक 'बी' के समान छात्रवृति प्रदान करने हेतू निम्न अनुसार सहर्ष आदेश देते हैः–

क0सं0	प्रावधान
1.	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु, अर्ध–घुमन्तु, टपरीवास एवं समाज के अन्य वर्गों के छात्रों के लिये।
2.	अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमन्तु, अर्ध–घुमन्तु, टपरीवास श्रेणी के छात्रों के लिए अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:–

छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
1	2	3	4	5
मैट्रिक	70	60	11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।	8000
10+2	75	70	ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1. आर्टस 2. कॉमर्स/सांईस व सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष 3. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिज 4. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सिज	 8000 8000 9000 10000
ग्रेजुएशन	65	60	पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1. आर्टस/कॉमर्स/सांईस 2. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिज 3. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सिज	 9000 11000 12000

क0सं0	प्रावधान
3.	पिछड़े वर्ग ब्लाक 'ए' के छात्रों के लिए अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:–

छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
1	2	3	4	5
मैट्रिक	70	60	11 वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।	8000

–पष्ठ जारी

4. पिछड़े वर्ग ब्लाक 'बी' के छात्रों के लिए अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:–

छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
1	2	3	4	5
मैट्रिक	80	75	11 वीं व सभी डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।	8000

5. समाज के अन्य वर्गो के मेधावी छात्र/छात्रों को पिछडे वर्ग ब्लाक 'बी' के छात्रो के समान अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:

छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
1	2	3	4	5
मैट्रिक	80	75	11 वीं व सभी डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।	8000

6. छात्रवृति हेतु पात्रता की शर्ते

1. विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
2. सभी साधनों से पारिवारिक वार्षिक आय 4.00 लाख रूपये से अधिक न हो।
3. स्कीम की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

3. विभाग मामले में यह भी सुनिश्चित करेगा कि अगले दो मास के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्कीम को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक करेगा।

4. योजना की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

5. यह स्वीकृति वित्त विभाग हरियाणा के अशा0कमांक 12/05/2021–4एफ0जी0–II/5048 दिनांक 28.04.2021 द्वारा दी गई उनकी मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है।

-Sd-
अधीक्षक समाज कल्याण
कृतेः प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

पृष्ठांकन कमांकः 322-SW(1)-2021

दिनांक चण्डीगढ 20 जुलाई, 2021.
03 जनवरी, 2022.

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ।
2. महालेखाकार (ऑडिट), हरियाणा, चण्डीगढ।
3. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, पंचकूला।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा, पंचकूला।
5. निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
6. निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
7. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
8. निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा, पंचकूला।
9. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
10. रजिस्ट्रार, सभी विश्वविद्यालय (हरियाणा राज्य) ।
11. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पंचकूला।
12. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
13. सभी जिला कल्याण अधिकारी (हरियाणा राज्य)।

अधीक्षक समाज कल्याण
कृतेः प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।